पूर्वोत्तर परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 68)

[20 दिसम्बर, 2002]

**पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम**

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2002 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

1971 का 84

2. पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ख) में, "नागालैंड और त्रिपुरा" शब्दों के स्थान पर "नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,--

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"(1) एक परिषद् होगी जिसे पूर्वोत्तर परिषद् कहा जाएगा जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

(i) तत्समय राज्यों के राज्यपाल के रूप में पदासीन व्यक्ति ;

(ii) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड , सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों के मुख्यमंत्री :

परंतु यदि खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी राज्य में, कोई मंत्रिपरिषद न हो तो राष्ट्रपति, ऐसे राज्य में मंत्रिपरिषद् के न होने तक, परिषद् में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक से अनधिक व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा;

(iii) राष्ट्रपति द्वारा तीन सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

"(3) राष्ट्रपति परिषद् के अध्यक्ष को नामनिर्दिष्ट करेगा ।"।

धारा 4 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में,--

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:--

"(1) परिषद् पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रादेशिक योजना निकाय के रूप में कृत्य करेगी ।

(2) परिषद्, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रादेशिक योजनाएं बनाते समय ऐसी स्कीमों और परियोजनाओं को पूर्विकता देगी जो दो या अधिक राज्यों को लाभ पहुंचाएगी:

परन्तु सिक्किम की दशा में, परिषद्, उस राज्य के लिए विनिर्दिष्ट परियोजनाएं और स्कीमें बनाएगी जिनमें ऐसी परियोजनाओं और स्कीमों के कार्यान्वयंन का पुनर्विलोकन भी है;";

(ख) उपधारा (3) में, खंड (ग) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

"(5) परिषद् के पास ऐसी शक्ति होगी जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यायोजित की जाए ।"।

धारा 5 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (1) में, "परिषद् के अधिवेशन ऐसे समयों पर होंगे" शब्दों के स्थान पर "परिषद् के अधिवेशन वर्ष में कम-से-कम दो बार ऐसे समयों पर होंगे" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 में "और योजना" शब्दों के स्थान पर "योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग" शब्द रखे जाएंगे ।

राष्ट्रपति ने दि नार्थ-इस्टर्न काउंसिल (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2002 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

The above translation in Hindi of the North-Eastern Council (Amendment) Act, 2002 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार ।
Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—3237OLW—6-11-2003.